भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4289
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

न्यायपालिका में एआई टूल्स का कार्यान्वयन

4289. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने मामलों के पंजीकरण, फाइल करने, अनुसंधान करने आदि के लिए एआई टूल्स का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने न्यायालयों में एआई टूल्स के कार्यान्वयन के लिए पृथक निधियां आवंटित की हैं ;

(ग) यदि हां, तो एआई और अन्य प्रौद्योगिकीय टूल्स के कार्यान्वयन के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार ने एआई की व्यवहार्यता और चुनौतियों का आकलन करने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना संचालित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक दस्तावेजों के अनुवाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भाषा प्रौद्योगिकी के उपयोग को अपनाया है। एआई का उपयोग फरवरी 2023 से मौखिक तर्कों को लिखने के लिए भी, विशिष्टतया संविधान न्यायपीठ के मामलों में किया गया है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद की मानीटरी के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। अनुवाद की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समिति विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की उप-समितियों के साथ नियमित बैठकें कर रही है।

उच्च न्यायालयों की एआई अनुवाद समितियाँ, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद से संबंधित संपूर्ण कार्य की मानीटरी कर रही हैं। आज तक, 17 उच्च न्यायालयों ने अपनी वेबसाइटों पर ई-उच्च न्यायालय रिपोर्ट (ई-एचसीआर)/ई-भारतीय विधि रिपोर्ट (ई-आईएलआर) डालना शुरू कर दिया है । ई-एचसीआर/ई-आईएलआर डिजिटल विधिक प्लेटफ़ॉर्म हैं जो स्थानीय भाषाओं में निर्णयों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करते हैं। आज तक, उच्चतम न्यायालय के 36,324 निर्णयों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया जा चुका है और उच्चतम न्यायालय के 42,765 निर्णयों का अन्य 17 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये ई-एससीआर पोर्टल (https://judgments.ecourts.gov.in/pdfsearch/index.php) पर उपलब्ध हैं।

यह ध्यान देने योग्य है कि एआई और अन्य तकनीकी औजारों के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट क्षेत्र, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। सरकार ने ई-न्यायालय चरण III के कार्यान्वयन के लिए 7210 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। चरण III के लिए 24 परियोजना घटक हैं और इन 24 में से एक घटक भविष्यत्कालिक रिपोर्ट (डीपीआर) के अनुसार, इस घटक के लिए 2027 तक भारत भर के उच्च न्यायालयों के लिए 53.57 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

****